File No. 11014/7/2022-रा.भा.(ष) (Computer No. 5092)
45824/2022/PATRIKA SECTION

NH-3

आज़ादी का अमृत महोत्सव और राजभाषा हिंदी

डॉ. जे. आत्माराम, सहायक प्रोफेसर
हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद

सारांश

भारत उत्सव-धर्मी देश है। अनेक धर्मों, जातियों, सम्प्रदायों आदि से सम्पन्न इस विशाल भारत में सदा उत्सव का माहौल रहता है। यहाँ ऐसा कोई माह या ऐसा कोई दिन नहीं मिलेगा, जिसमें कोई उत्सव न मनाया जाता हो। भारत की उत्सव-धर्मिता को और भी अर्थपूर्ण बनाते हुए 12 मार्च, 2021 को साबरमती में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। यह महोत्सव 75 सप्ताह चलेगा। 15 अगस्त, 2022 को भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। उन ऐतिहासिक पलों को यादगार एवं प्रेरणादायी बनाने के लिए भारत सरकार ने इस महोत्सव को 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान से जोड़ते हुए श्लाघनीय कार्य किया है। अतः आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन को भारत की उन्नति की दृष्टि से, ऐतिहासिक पहल के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। 12 मार्च एक ऐतिहासिक तारीख है, इसी दिन 1930 में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कर अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण नमक कानून के विरुद्ध शंखनाद करते हुए बहुत बड़े जनांदोलन की शुरुआत की थी। ठीक उसी प्रकार, भारत सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव को भी 'जन महोत्सव' के रूप में मनाने की बात करते हुए सभी देशवासियों को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेकर इसे सफल बनाने का आह्वान कर रही है। भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए पाँच स्तम्भ बनाए गए हैं, वे पाँच स्तम्भ हैं-- (1) स्वतंत्रता संग्राम (2) 75 पर विचार (3) 75 पर उपलब्धियाँ (4) 75 पर कदम और (5) 75 पर संकल्प। प्रस्तुत आलेख में इन्हीं पाँच स्तम्भों के आलोक में राजभाषा हिंदी के स्थिति-गति का विचार करने का प्रयास किया जाएगा।

मूल लेख

कोई भी अभियान या आंदोलन बिना जनता के सहयोग के सफल नहीं हो सकता। आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक मुख्य उद्देश्य है, इसे 'जन-महोत्सव' का रूप देना और यह महत्तर कार्य हिंदी भाषा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं कि, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी कंचनजंगा से लेकर कन्याकुमारी तक और कोंकण से लेकर कोरोमंडल तक, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने और स्वतंत्रता की लहर को पूरे भारत में पहुँचाने में हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता के बाद भी, विगत 75 वर्षों से, हिंदी भाषा देश की सबसे सशक्त संपर्क-भाषा की भूमिका का निर्वाह करती आ रही है।

इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उन उच्च आदर्शों एवं उद्देश्यों को याद किया जा रहा है, जिन्हें पाने के लिए भारत के असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण गंवाए थे। इस उत्सव के माध्यम से देशवासियों में वही देश-प्रेम, राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति समर्पण एवं त्याग की भावना को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो आज से 75 वर्ष पहले भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में थी। इस उत्सव के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के सपनों एवं आदर्शों के अनुरूप भारत को और

Generated from eOffice by SUNITA AGNIHOTRI, ASO(PATRIKA) SA, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Official Language on 09/11/2022 10:44 AM

भी मजबूत एवं आत्मनिर्भर बनाने की बात भी की जा रही है। पर, स्वतंत्रता केवल राजनीतिक एवं आर्थिक ही नहीं होती, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक भी होती है। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत को राजनैतिक गुलामी के साथ-साथ भाषा की गुलामी से भी आजाद होना होगा। अतः राजभाषा के संदर्भ में महात्मा गाँधी एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की आकांक्षाओं को अच्छी तरह से समझने में आज़ादी के अमृत महोत्सव के ये पाँच स्तम्भ अवश्य ही सहायक सिद्ध होंगे।

(1) स्वतंत्रता संग्राम और राजभाषा हिंदी

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी ने आज़ादी के बाद हिंदी ही देश की 'राजभाषा' होगी, ऐसा कहा हो इसका उल्लेख कहीं मिलता। बल्कि, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानियों एवं साहित्यकारों ने यही कहा कि आज़ादी के बाद 'हिंदी ही देश की 'राष्ट्रभाषा' होगी या होनी चाहिए, फिर चाहे वे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी हो या राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त। किन्तु आज़ादी के बाद जब संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में 'हिंदी को संघ की राजभाषा' का दर्जा दिया गया। (ध्यान रहे, हमारे संविधान में हिंदी के लिए 'राष्ट्रभाषा' शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है।) शब्द-जाल के हेर-फेर में न पड़ते हुए, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की इच्छा रखने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने राजभाषा हिंदी के संदर्भ में यही भाव ग्रहण किया होगा कि आज़ादी के बाद हिंदी देश की न केवल सरकारी कामकाज की भाषा बनेगी, बल्कि इसके साथ-साथ ज्ञान-विज्ञान, शोध-अनुसंधान, शिक्षा, विधि, संसद, विधानसभा, विधान परिषद, व्यवसाय, मनोरंजन आदि सभी प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में (जहाँ-जहाँ आज अंग्रेजी छायी हुई है, उन सभी जगह) हिंदी का ही प्रयोग होगा। पर ऐसा हो न सका, इस संदर्भ में आलोचक नामवर सिंह ने वचन याद आते हैं, उन्होंने कहा था "आज हिन्दी की स्थिति त्रिशंकु की है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उसे राष्ट्रभाषा बनाने की मांग हुई और स्वाधीन भारत की वह राजभाषा बना दी गई। जैसे त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे अचानक बीच में इस तरह रोक दिया गया कि न वह स्वर्ग जा सका और न धरती पर वापस आ सकता था, वैसे ही हिन्दी को बना दिया गया है। वह न तो राजभाषा का दर्जा पाकर स्वर्ग जा सकती है और न ही गिरकर धरती पर आ सकती है।"

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र-प्रेम की पहचान थी। उस समय खादी पहनना और हिंदी भाषा का प्रयोग करना देश-प्रेम की निशानी थी। यही कारण था कि 1918 में महात्मा गांधी द्वारा मद्रास (चेन्नई) में स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से असंख्य हिंदीतर-भाषियों ने हिंदी सीखी थी।

(2) 75 पर विचार और राजभाषा हिंदी

आज़ादी के इस 75वें पड़ाव पर राजभाषा हिंदी की स्थिति पर विचार करें, तो हम पाते हैं कि आज राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति को लेकर कई लोग बहुत निराशा व्यक्त करते पाए जाते हैं, पर स्थिति इतनी निराशाजनक भी नहीं है। विगत सात दशकों से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए आज राजभाषा हिंदी जहाँ खड़ी है, राजभाषा कर्मियों के योगदान एवं टेक्नोलॉजी के सहयोग से राजभाषा नीति के अनुपालन में हिंदी ने जिन उपलब्धियों को हासिल किया है, उन्हें पहचानने और सहर्ष स्वीकार करने की आवश्यकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की प्रकृति विश्व के अन्य देशों से बहुत भिन्न

Generated from eOffice by SUNITA AGNIHOTRI, ASO(PATRIKA) SA, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Official Language on 09/11/2022 10:44 AM

है। भारत बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक देश तो है ही, विश्व का महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश भी है। लोकतंत्र में सभी अस्तित्वों का अपना महत्त्व होता है। लोकतंत्र में केवल बहुसंख्यक या बहुमत की बात नहीं होती, इसमें अल्प संख्यक तत्त्वों की भी बात सुनी जाती है, उनके हितों की रक्षा एवं उनके विकास की समुचित व्यवस्था भी की जाती है। फिर चाहे यह व्यक्तियों की बात हो, या फिर भाषाओं की। इसीलिए भारतीय के संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल जैसी विकसित भाषाओं को शामिल किया गया है तो संथाली जैसी आदिवासी भाषा को भी उसमें स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र में किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए या नीति-नियम बनाने में हमेशा केवल सत्ता पक्ष की बात नहीं चलती है, उसमें प्रतिपक्ष की भूमिका को भी महत्त्व दिया जाता है। भारत के संविधान में हिंदी संघ की राजभाषा और उसके साथ अंग्रेजी सह-राजभाषा के रूप में भी विद्यमान है, तो उसका कारण भी यही है।

(3) 75 पर उपलब्धियाँ और राजभाषा हिंदी

स्वतंत्रता के विगत 75 वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, योग, आयुर्वेद आदि के लिए विश्वविख्यात प्राचीन-भारत आज़ादी के बाद रक्षा, कृषि, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी आदि कई क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाकर 'आत्मनिर्भर भारत' बनने की राह पर अग्रसर है। सूचना-प्रौद्योगिकी के वर्तमान दौर में राजभाषा हिंदी टेक्नोलॉजी के साथ कदम-ताल मिलाते हुए कंप्यूटर के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रही है। आज कंप्यूटर पर हिंदी भाषा के माध्यम से वे सभी कार्य करना संभव हो पा रहा है, जो कुछ समय पहले केवल अंग्रेजी में ही हो पाते थे। इस दिशा में युनिकोड फौन्ट का विकास एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। जहाँ तक राजभाषा नीति के अनुपालन की बात है, कई प्रकार की चुनौतियों के बावजूद, राजभाषा हिंदी ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की है। राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967), राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976, संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण, उनके सुझाव और समय-समय पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी राजभाषा सम्बन्धी आदेशों के फल-स्वरूप देश के कई कार्यालयों में राजभाषा नीति के सुचारु अनुपालन को बल मिल रहा है।

विज्ञान लेखन के क्षेत्र में भी राजभाषा हिंदी उल्लेखीय प्रगति दर्ज की जा रही है, कुछ दशकों पहले प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी, रक्षा-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष-विज्ञान आदि विषय-क्षेत्रों पर राजभाषा हिंदी में चर्चा करना अथवा वैज्ञानिक संगोष्ठियों का आयोजन करना लगभग असंभव माना जाता था, किन्तु हैदराबाद स्थित डी.आर.डी.ओ. की प्रयोगशालाएँ संयुक्त रूप से विगत 16 वर्षों से अनवरत सरल-सुबोध राजभाषा हिंदी में रक्षा-प्रौद्योगिकी से जुड़े नवीन विषयों पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन कर जो श्लाघनीय कार्य कर रही हैं, इसके लिए इससे जड़े आयोजक, वैज्ञानिक, तकनीकी अधिकारी एवं राजभाषा कर्मी बधाई एवं अभिनंदन के पात्र हैं। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिक संस्थानों की राजभाषा गृह पत्रिकाएँ, राजभाषा हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख प्रकाशित कर वैज्ञानिक लेखन को बल प्रदान कर रही हैं, इनमें डी.आर.डी.ओ. एवं ई.सी.आई.एल., हैदराबाद की राजभाषा गृह-पत्रिकाएँ उल्लेखनीय हैं। ये सारे प्रयास यह सिद्ध कर रहे हैं, अपनी भाषा के प्रति प्रीति एवं अभिमान हो तो तकनीकी शब्दावली एवं अभिव्यक्तियों की कमी कोई बाधा नहीं हो सकती है। कठिन से कठिन विषय को भी सरल-सहज भाषा में समझाया जा सकता है।

Generated from eOffice by SUNITA AGNIHOTRI, ASO(PATRIKA) SA, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Official Language on 09/11/2022 10:44 AM

(4) 75 पर कदम और राजभाषा हिंदी

देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में कदम रखते हुए, ईमानदारी से विचार करने पर हम यह महसूस कर सकते हैं, वर्तमान में राजभाषा नीति के अनुपालन के संदर्भ में ठोस कार्रवाई कम और औपचारिकताओं का निर्वाह अधिक होने लगा है। राजभाषा सम्बन्धी प्रगति रिपोर्ट इसकी साक्षी हैं। हम जानते हैं, राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के सुचारु अनुपालन के संदर्भ में हर वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, राजभाषा हिंदी में पत्राचार, कार्यालयीन कामकाज, प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित कुछ लक्ष्य क्षेत्रवार निर्धारित किए जाते हैं। उन लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार के कार्यालयों के राजभाषा-कर्मी प्रयास करते नज़र आते हैं।

पर, इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता है वर्तमान समय में सरकारी कार्यालयों के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है क्योंकि कार्यालयों में स्थाई पदों की संख्या घटती जा रही है। अब पहले की तरह न तो नई नियुक्तियाँ हो रही हैं, और न ही राजभाषा सम्बन्धी पदों का सृजन। इससे राजभाषा नीति के अनुपालन से सम्बन्धित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बदलती परिस्थियों के अनुरूप टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हुए राजभाषा नीति के अनुपालन के कार्य को और भी सुगम बनाने की आवश्यकता है। ताकि स्थायी, अस्थायी सभी व्यक्ति सहर्ष राजभाषा नीति का अनुपालन से जुड़े। किसी को राजभाषा सम्बन्धी नीति-नियमों को याद दिलाने की आवश्यकता ही न पड़े।

विगत सात दशकों से हम एक ही दिशा में कार्य करते हुए हिंदी न जानने वाले हिंदीतर भाषियों को हिंदी सीखने एवं प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते आ रहे हैं, पर कभी भी हमने हिंदी भाषी व्यक्तियों को देश की कम से कम कोई एक प्रादेशिक भाषा अथवा उत्तर भारत के वासियों के दक्षिण भारत की कोई एक भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाए हैं। यदि हम ऐसा हम कर पाते, तो निश्चित ही आज राजभाषा हिंदी की स्थिति बहुत बेहतर होती। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐतिहासिक अवसर है, कम से कम अब तो इस दिशा में अभियान के तर्ज पर अवश्य प्रयास करना चाहिए।

(5) 75 पर संकल्प और राजभाषा हिंदी

आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष किसी भी राष्ट्र के इतिहास में बहुत ही गौरव एवं अभिमान का विषय होता है, भारत के लिए भी है। इस ऐतिहासिक अवसर को यदि हम केवल उत्सव मान कर भुला देंगे तो यह देश के वीरों व स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति हमारी सच्ची कृतज्ञांजलि नहीं होगी। हमें उन देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का साकार करने लिए संकल्प बद्ध होकर राजभाषा हिंदी को उसका वास्तविक स्थान दिलाने का प्रयास करना होगा। महात्मा गांधी का सपना था कि हिंदी आजाद भारत की राष्ट्रभाषा बने और सभी सरकारी कामकाज देश की अपनी भाषा, यानी हिंदी में हो। महात्मा गाँधी का यह भी यही विचार था कि सरकारी कामकाज की भाषा के साथ-साथ हिंदी शिक्षा माध्यम की भाषा बने, मौलिक शोध एवं अनुसंधान की भाषा भी बने। हिंदी में विचार-विमर्श एवं तकनीकी चर्चाएँ हो, हिंदी में वैज्ञानिक लेखन हो। अतः आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक अवसर आयोजित इस संगोष्ठी के माध्यम से हम सभी यह संकल्प करें कि हिंदी को न केवल प्रशासनिक कामकाज की सशक्त भाषा बनाएँगे बल्कि विज्ञान एवं प्रौयोगिकी लेखन की सशक्त भाषा भी बनाएंगे।

Generated from eOffice by SUNITA AGNIHOTRI, ASO(PATRIKA) SA, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Official Language on 09/11/2022 10:44 AM

निष्कर्ष

आजादी का अमृत महोत्सव देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले उन असंख्य वीरों को याद करने का महोत्सव है। उन वीरों ने जिस स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की कल्पना की थी, उन्हें पूरा करने का संकल्प करने का महोत्सव है।

स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को केवल राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि भाषिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी आजाद देखना चाहा था। उन त्यागमूर्तियों की यही इच्छा थी कि आज़ाद भारत लोकतांत्रिक भारत होगा, सर्वसमावेशी भारत होगा। इस लोकतांत्रिक भारत में लोक की भाषा, यानी हिंदी भाषा में सभी सरकारी कामकाज होंगे। हिंदी में ही शिक्षा दी जाएगी। शोध-अनुसंधान कार्य हिंदी में होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर राजभाषा हिंदी के विकास के लिए संकल्प-बद्ध होकर एक अभियान के तर्ज पर हमें प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि 14 सितंबर 2024 को जब हम राजभाषा हिंदी का अमृत महोत्सव मनाएंगे तब राजभाषा हिंदी की स्थिति पर भाषा, प्रान्त के भेद भुला कर समूचा भारत गर्व और गौरव का अनुभव करने लगे।

Generated from eOffice by SUNITA AGNIHOTRI, ASO(PATRIKA) SA, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Official Language on 09/11/2022 10:44 AM